फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर   मुकाम अलवर

सुलेमान बनाम अजीमन वगै.

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 212 रा०का०अधि०........................... नं० 2/   /   सन् ......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.01.2023	आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड की नक़लात का अवलोकन करने पर एवं वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन करने पर प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में पाये जाते हैं। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 27.02.2023 तक पाबन्द किया जाता है कि वो खसरा नम्बर 1467 रकबा 0.49, 1468 रकबा 0.47 हैक्टेयर वाकेग्राम भूगोर तहसील अलवर के शामलाती कब्जे एवं कुल कार्य काश्तकारी में रूकावट मजाहमत ना करे। विवादित आराजी को रहन, बय ना करे। निर्माण कार्य ना करे एवं मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब हो, कि क्यों ना उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा Absolute कर दिया जावे। यदि कोई आक्षेप हो तो दिनांक 27.02.2023 को उपस्थित होकर पेश करे। पत्रावली दिनांक 27.02.2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी अलवर 27-2-23 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक...26-6-23....... को पेश हो। रीडर	

Scanned with OKEN Scanner

10-4-23

पत्रावली प्रार्थी/वकील प्रार्थी के उपस्थित पर पूर्व निर्धारित तारीख पेशी से पूर्व तलब की गई। उपस्थित के अंकित किया कि प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते है अतः ही विड्राकरवाना चाहते है।

प्रार्थी/वकील प्रार्थी को सुना गया। कार्यवाही स्थगन करने के उपरान्त प्रार्थी को स्वीकार किया। अतः प्रार्थी को वाद विड्रा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अतः वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

मैं अपना प्रार्थना पत्र आगे नहीं चलाना चाहता अतः इसे विड्रा करना चाहता हूं।

नि.अं. [illegible]

Id by
[illegible] Adv.